

# कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, झालावाड़

मिनी सचिवालय कमरा नं. 310 दूरभाष नं.07432-231771 Email – ddjhalawar.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक :-671

दिनांक :- 22.06.2022

विज्ञापित संख्या-01/2022-23

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम

1	बाल विकास परियोजना अधिकारी अकलेरा cdpoaklera@gmail.com	कार्यकर्ता- डूंगरगांव, डूंगरगांव मजरा टापरिया सहायिका- डूंगरगांव मजरा टापरिया, झीकडिया
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी बकानी cdpobakani@gmail.com	कार्यकर्ता- पीपल्यानग्गा 02(नया गांव नई बस्ती) , सहायिका - पीपल्यानग्गा 02 (नया गांव नई बस्ती)
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी भवानीमण्डी cdpobhawanimandi@gmail.com	कार्यकर्ता-ताई का खेड़ा, मेहरपुरा (अनु.जाति ) सहायिका- मेहरपुरा (अनु.जाति)
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी डग cdpodag0777@gmail.com	कार्यकर्ता- भैंसड़िया
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी झालरापाटन icdsjpatan@gmail.com	कार्यकर्ता- वार्ड नं.19 द्वितीय (पुराना) झालावाड़ , डूंगरगांव 02, हरिपुरा डाण्डिया ( अनु.जनजाति ) , सहायिका- दुर्गपुरा 01
6	बाल विकास परियोजना अधिकारी खानपुर cdpokhanpur1@gmail.com	सहायिका- हरीगढ़ 01
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी पिड़ावा cdposunel@gmail.com	सहायिका- हिम्मतगढ़ 02

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण तथा सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण है। आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य है।
- विज्ञापित जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21-40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
- आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड (4) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (5) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) बीपीएल कार्ड (केन्द्र सूचीनुसार)/खाद्य सुरक्षा/अन्त्योदय/भारत सरकार के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण में पात्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/ज्योति योजना लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संग्लन किये जावें।
- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
- आवेदन फार्म संबन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय की ई-मेल पर दिनांक 22.07.2022 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेंगे।
- इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट <http://www.wcd.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 से प्राप्त की जा सकती है।

(महेश चन्द गुप्ता)

उपनिदेशक


महिला एवं बाल विकास विभाग  
झालावाड़ (राज0)

क्रमांक :- 672-680

दिनांक :-22.06.2022

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झालावाड ।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद, झालावाड।
4. श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड।
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला झालावाड।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झालावाड ।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर परिषद एवं नगर पालिका जिला झालावाड ।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला झालावाड।
9. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
झालावाड (राज0)